

07/07/2021

कोविड - 19 संक्रमण के चलते पत्रावली नियत इकजादी पेची पर आज पेच हुआ। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक प्रार्थना - पत्र वाकत विद्रा किए जाने का (शामिल रामसिंह बनाम शवाईसिंह मुकदमा संख्या 170/2015) पेश कर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ दावा विद्रा के अनुमति चाही।

वकील वादी का प्रार्थना - पत्र न्यायाधीश में खीकार किया जाकर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ दरस्तगत वाद पत्र विद्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में न्यायालय हाजा के स्तर पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर शाय की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तमनील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राकेश कुमार (RAS)
उपखण्ड अधिकारी खंडेला